

प्रेस नोट जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 07-01-2023

संजीव रंजन, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा तहसील बांसी पर आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जनसुनवाई की गयी ।

आज दिनांक 07-01-2023 को तहसील दिवस के अवसर पर तहसील बांसी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें संजीव रंजन, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गम्भीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया । पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों को समयबद्धता/गुणवत्ता के साथ निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए । इस दौरान उपजिलाधिकारी बांसी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें ।

प्रेस नोट दिनांक 07.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में व सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना सिद्धार्थनगर द्वारा मु0अ0सं0 05/2023 धारा 3(1) यू.पी गैंगस्टर एक्ट थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर में वांछित अभियुक्त राहुल श्रीवास्तव उर्फ अतुल श्रीवास्तव व संजय साहनी को दिनांक 06-01-2023 को काशीराम आवास मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01. राहुल श्रीवास्तव उर्फ अतुल श्रीवास्तव पुत्र लल्लू श्रीवास्तव निवासी परसा खुर्द थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर(उम्र लगभग 27 वर्ष)
02. संजय साहनी पुत्र रामदेव निवासी परसा खुर्द थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर (उम्र लगभग 37 वर्ष)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

01. सतीश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर मय हमराह
02. उ0नि0 शंशाक कुमार सिंह प्रभारी चौकी जेल रोड़ थाना सिद्धार्थनगर
03. हे0का0 कैलाशनाथ यादव थाना सिद्धार्थनगर ।



प्रेस नोट दिनांक 07.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का किया अनावरण । 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल बरामद ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में व सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में दिनांक 06.01.2023 को थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2023 धारा 379 भा0द0वि0 का अनावरण करते हुए सम्बन्धित अभियुक्त हरिचरन पुत्र निर्मल हरिजन निवासी मुड़िला राजा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 22 वर्ष को आज दिनांक 07.01.2023 को चोरी किये गये वाहन मोटरसाइकिल हीरो एच0एफ0 डीलक्स UP55 AB 1536 के साथ परसा महापात्र नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया व मुकदमे मे धारा 411 भा0द0वि0 की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1.हरिचरन पुत्र निर्मल हरिजन निवासी मुड़िला राजा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण-

चोरी की मोटरसाइकिल हीरो एच0एफ0 डीलक्स UP55 AB 1536

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0- 92/21 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- मु0अ0सं0- 24/21 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- मु0अ0सं0- 122/20 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ0नि0 शंशाक कुमार सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर
3. हे0का0 कैलाश नाथ यादव थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर
4. का0 संतोष भारती थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर



प्रेस नोट दिनांक 07-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 07-01-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 05 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 02 पत्रावलियों का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 03 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है, 02 परिवारों को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष मीरा चौहान, म0हे0मु0 सबिता सिंह, म0 आ0प्रियम्बदा सिंह, म0 आ0 नेहा सिंह व म0 आ0 अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विववण

1. पूजा पत्नी दिलीप साकिन जगदीशपुर ,थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. सवीना पत्नी रफीक साकिन बेदौला पावर हाउस थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 07.01.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 07.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के तीसरे दिवस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द, के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम, के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम, पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, जोगिया कस्बा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 28 वाहनों से 22500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट दिनांक 07-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर।

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना उसका बाजार पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 21 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल 2,19,480/- रु0 के राजस्व की प्राप्ति। सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 442 वाहनों की नीलामी कर 58,73,810/-रु0 राजस्व प्राप्त किया गया

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के

कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये है।

मा० उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं० 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में 'आपरेशन क्लीन' 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया। 'आपरेशन क्लीन' के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया। सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर 'आपरेशन क्लीन' के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक 07.01.2023 को सन्त कुमार, उप जिलाधिकारी(न्यायिक) सिद्धार्थनगर, अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर, बिन्देश गुप्ता, नायब तहसीलदार, बृजेश कुमार, आर०आई० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना उसका बाजार में लम्बित माल मुकदमाती से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 21 वाहनों जिसमें 10 दोपहिया वाहन (मालमुकदमाती- 05, लावारिश- 01, एम०वी० एक्ट में सीज – 04), 08 अदद एम०वी० एक्ट में सीज तीन पहिया वाहन, 03 अदद एम०वी० एक्ट में सीज चार पहिया वाहन की नीलामी थाना उसका बाजार परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी। जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 2,19,480/-रु० का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा।

पूर्व में थाना शोहरतगढ़ से 98 वाहन, ढेबरुआ से 94 वाहन, डुमरियागंज से 93 वाहन, चिल्हिया से 45 वाहन, थाना कपिलवस्तु से 26 वाहन, थाना सिद्धार्थनगर से 24 वाहन, खेसरहा से 13 वाहन, पथरा बाजार से 11 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन थाना इटवा से 02 वाहन, शिवनगर डिड़ई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है। अब तक कुल 442 वाहनों की नीलामी से कुल 58,73,810/- रु० राजस्व की प्राप्ति हुई है।







प्रेस नोट दिनांक 07-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व रुपये 20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 64/2016 मु.अ.सं. 553/2015 धारा 498A, 304B, 201 भादवि व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना मिश्रौलिया से सम्बन्धित आरोपीगण को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अंगद पुत्र गन्जू उर्फ जैसलाल निवासी ग्राम औरहवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायाधीश श्री कामेश शुक्ल, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा धारा 304(B) के अन्तर्गत दोषी करार देते हुये 10 वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अन्य 06 अभियुक्तगण गन्जू उर्फ जैसलाल, गंगाराम, सोनी, रामलाल चौहान, रामवचन, खेमई चौहान (प्रत्येक) को धारा 201 भादवि के अन्तर्गत 02-02 वर्ष के कारावास व रु 5000-5000/- के अर्थदण्ड से

दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी राजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 विरेन्द्र, थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा ।



Meticulous Investigation & Conviction

आपरेसन शिकंजा

Siddharthnagar Police



सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व रुपये 20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 64/2016 मु.अ.सं. 553/2015 धारा 498A, 304B, 201 भा0द0वि0 व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना मिश्रौलिया से सम्बन्धित आरोपीगण को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अंगद पुत्र गन्जू उर्फ जैसलाल निवासी ग्राम औरहवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायाधीश श्री कामेश शुक्ल, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा धारा 304(B) के अन्तर्गत दोषी करार देते हुये 10 वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अन्य 06 अभियुक्तगण गन्जू उर्फ जैसलाल, गंगाराम, सोनी, रामलाल चौहान, रामवचन, खेमई चौहान (प्रत्येक) को धारा 201 भादवि के अन्तर्गत 02-02 वर्ष के कारावास व रु 5000-5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी राजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 विरेन्द्र, थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा ।



राजेश कुमार त्रिपाठी
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता



मु0आरक्षी विरेन्द्र
न्यायालय पैरोकार